अनुदान संख्या 18 – रक्षा मंत्रालय (विविध)
GRANT No. 18 - MINISTRY OF DEFENCE (MISC)

				कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**					
प्रभारित–	*Charged -*					
मूल	*Original*	*66,00*		*84,00*	*22,07*	*-61,93*
पूरक	*Supplementary*	*18,00*				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*18,00*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	29991,34,00		30391,35,00	27774,94,27	-2616,40,73
पूरक	Supplementary	400,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1993,13,00
पूंजीगतः	**Capital:**					
प्रभारित–	*Charged -*			*40,00,00*	*24,89,50*	*-15,10,50*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*					*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-					
मूल	Original	7206,00,00		8805,00,00	8806,91,62	+1,91,62
पूरक	Supplementary	1599,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					6,36,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, कुल बचतें (*₹61.93 लाख*) फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए *₹18.00 लाख* के पूरक *विनियोग* से अधिक अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत *विनियोग* का 74 प्रतिशत थीं।

(I) *₹42.00 लाख* का *विनियोग* (*₹1.00 लाख* के पूरक *विनियोग* सहित) चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

2. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (₹261640.73 लाख) सितंबर, 2020 तथा फरवरी, 2021 में प्राप्त किए गए ₹40001.00 लाख के पूरक अनुदानों से अधिक हो गईं और कुल स्वीकृत प्रावधान का 9 प्रतिशत थीं।

बचतें / अधिक व्यय निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं / हुआः–

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, the overall savings (*₹61.93 lakhs*) exceeded the supplementary *appropriation* of *₹18.00 lakhs* obtained in February, 2021 and constituted 74 percent of the total sanctioned *appropriation*.

(I) *Appropriation* of *₹ 42.00 lakhs* (including supplementary *appropriation* of *₹ 1.00 lakh*) remained wholly unutilised under four heads.

2. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (₹261640.73 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹40001.00 lakhs obtained in September, 2020 and February, 2021 and constituted 9 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	4469.00	3829.00	3635.99	-193.01
पु.	R.	-640.00			
मुख्य शीर्ष "2037"	Major Head "2037"				
सीमा शुल्क	Customs				
मू.	O.	253276.00	252292.00	254727.67	+2435.67
पु.	R.	-984.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2052"	Major Head "2052"				
सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Secretariat - General Services				
मू.	O.	500582.00			
पू.	S.	1.00	525509.00	513862.15	-11646.85
पु.	R.	24926.00			
मुख्य शीर्ष "2075"	Major Head "2075"				
विविध सामान्य सेवाएं	Miscellaneous General Services				
मू.	O.	2009850.00	1797126.00	1750371.05	-46754.95
पु.	R.	212724.00			
मुख्य शीर्ष "2216"	Major Head "2216"				
आवास	Housing				
मू.	O.	2543.00	2221.00	1995.58	-225.42
पु.	R.	-322.00			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	500.00			
पू.	S.	300.00	..	..	..
पु.	R.	-800.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"				
सड़क तथा पुल	Roads and Bridges				
मू.	O.	80500.00			
पू.	S.	37000.00	108700.00	105393.23	-3306.77
पु.	R.	-8800.00			
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-Aid to State Governments				
मू.	O.	4500.00			
पू.	S.	2700.00	5500.00	5489.35	-10.65
पु.	R.	-1700.00			

(I) ₹1284.00 लाख का प्रावधान (₹300.00 लाख के पूरक अनुदान सहित) दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इसमें से ₹800.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" – "सड़क एवं पुल – सीमा सड़क संगठन" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने तथा शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹1284.00 lakhs (including supplementary grant of ₹300.00 lakhs) remained wholly unutilised under two heads; of these ₹800.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - "Roads & Bridges - Border Roads Organisation" - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "3054" – "सामरिक तथा सीमा सड़कें – अन्य व्यय – सड़क निर्माण कार्य" के अंतर्गत ₹13000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹820.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹13820.00 लाख किया गया। तथापि, ₹3793.23 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – कोविड–19 महामारी के कारण भूटान में कार्य स्थगित किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3054" - "Strategic and Border Roads - Other Expenditure - Road Works" - the original provision of ₹13000.00 lakhs was augmented to ₹13820.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹820.00 lakhs. However, there was a saving of ₹3793.23 lakhs (including supplementary grant) - due to suspension of work in Bhutan owing to COVID-19 pandemic.

(III) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:–

(का) मुख्य शीर्ष “3054” – “सामरिक और सीमा सड़कें – सड़क निर्माण कार्य” –

(क) “सीमा सड़क संगठन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण” – ₹10500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹5400.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹15900.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹1664.69 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(ख) “राजमार्गों से भिन्न सड़कों का अनुरक्षण” – ₹46000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹30680.00 लाख के पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹76680.00 लाख कर दिया गया जो, तथापि, ₹6637.02 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कोविड–19 महामारी के कारण श्रमशक्ति और सामग्री की कमी होने से रीसरफेसिंग कार्यों का निष्पादन न हो पाने के कारण हुईं।

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम – केन्द्रीय सड़क निधि से अनुदान – बीआरडीबी के अंतर्गत सड़क निर्माण कार्य” – ₹4500.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2700.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹7200.00 लाख किया गया जो, तथापि, कोविड–19 महामारी के कारण कार्यपालक एजेंसियों द्वारा कार्यों/सेवाओं को पूरा न करने के कारण ₹1710.65 लाख की सीमा तक अप्रयुक्तय रहा।

(IV) मुख्य शीर्ष “2014” – “अन्य व्यय – सशस्त्र सेना अधिकरण” के अंतर्गत – ₹833.01 लाख की बचत (₹4469.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, कम दौरे किए जाने, मरम्मत कार्य को अंतिम रूप न दिए जाने और स्थापना संबंधी

(III) Supplementary grant obtained under following major heads remained unutilized to the extent as shown against each:-

(A) Major Head “3054” - “Strategic and Border Roads - Road Works” -

(a) “Maintenance of NHs by Border Roads Organisation” - the original provision of ₹10500.00 lakhs was augmented to ₹15900.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹5400.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1664.69 lakhs; and

(b) “Road Maintenance other than NHs” - the original provision of ₹46000.00 lakhs was augmented to ₹76680.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹30680.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹6637.02 lakhs.

Savings under the above two heads were due to non-execution of resurfacing works on account of shortage of manpower and materials owing to COVID-19 pandemic.

(B) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Scheme - Grants from Central Road Fund - Road works under BRDB” - the original provision of ₹4500.00 lakhs was augmented to ₹7200.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2700.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹1710.65 lakhs - due to non-completion of works/services by executing agencies owing to outbreak of COVID-19 pandemic.

(IV) Under Major Head “2014” - “Other Expenditure - Armed Forces Tribunal” - saving of ₹833.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4469.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, non-finalisation of repair

खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

works and requirement of less funds towards establishment related expenses owing to COVID-19 pandemic.

(V) मुख्य शीर्ष "2052" के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईः–

(V) Under Major Head "2052" - savings occurred under the following heads:-

(का) "सचिवालय" –

(A) "Secretariat" -

(क) "रक्षा विभाग" – ₹2825.40 लाख की बचत (₹18556.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने, कम दौरे किए जाने, परामर्शदाता तथा अनियत श्रमिकों की सेवाओं हेतु कम भुगतान होने, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी मदों की अधिप्राप्ति तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के साथ लघु प्रकृति के कार्य प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने और कार्यालय संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(a) "Department of Defence (DoD)" - saving of ₹2825.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18556.00 lakhs) was due to receipt of less medical claims, less tours undertaken, less payments towards non-engagement of consultants and casual labours, non-finalisation of procurement of IT related items and minor works proposals with Central Public Works Department and requirement of less funds towards office expenses owing to COVID-19 pandemic.

(ख) "रक्षा उत्पादन विभाग (डीडीपी)" – ₹6328.92 लाख की बचत (₹8325.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी मदों की अधिप्राप्ति को अंतिम रूप नहीं दिए जाने तथा कार्यालय संबंधी मदों की खरीद के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(b) "Department of Defence Production (DDP)" - saving of ₹6328.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8325.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken, non-finalisation of procurement of IT related items and requirement of less funds towards purchase of office related items owing to COVID-19 pandemic.

(ग) "सैन्य मामले विभाग" – ₹1692.40 लाख की बचत (₹1776.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने के कारण हुई।

(c) "Department of Military Affairs" - saving of ₹1692.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1776.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(खा) "अन्य कार्यालय – रक्षा लेखा विभाग (डीएडी)" – ₹1749.01 लाख की बचत (₹179199.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, कम दौरे किए जाने, चिकित्सा दावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने तथा स्थापना संबंधी खर्चों

(B) "Other Offices - Defence Accounts Department (DAD) - saving of ₹1749.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹179199.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, less tours undertaken, non-finalisation of medical claims

के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

and requirement of less funds towards establishment related expenses owing to COVID-19 pandemic.

(VI) मुख्य शीर्ष "2075" – "कैंटीन स्टोर विभाग – कैंटीन सेवाएं निदेशालय" – ₹259478.95 लाख की बचत (₹2009850.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण महंगाई भत्ते का स्थिरीकरण किए जाने, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और तकनीकी इस्तीफे कम होने, परामर्शदाताओं की नियुक्ति न होने, पुष्टि मांग के तहत (एएफडी) मदों हेतु भुगतान की वापसी होने, कैंटीन स्टोर विभाग की कम्प्यूटरीकरण परियोजना में देरी होने, स्थापना संबंधी खर्चों के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(VI) Major Head "2075" - "Canteen Stores Department (CSD) - Directorate of Canteen Services" - saving of ₹259478.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2009850.00 lakhs) was due to freezing of dearness allowance, less voluntary retirement and technical resignations, non-engagement of consultants, refund of payment for Against Firm Demand (AFD) items, delay in computerization project of Canteen Stores Department, requirement of less funds towards establishment related expenses owing to COVID-19 pandemic and cut imposed at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VII) मुख्य शीर्ष "2216" – "सामान्य मूल आवास – अनुरक्षण तथा मरम्मत – अन्य अनुरक्षण व्यय" – ₹547.42 लाख की बचत (₹2543.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और कार्यापालक संस्थाओं द्वारा धीमी गति से कार्य करने के कारण हुई।

(VII) Major Head "2216" - "General Pool Accommodation - Maintenance & Repairs - Other Maintenance Expenditure" - saving of ₹547.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2543.00 lakhs) was due to non-finalisation of tender and slow progress of works by executing agencies.

(VIII) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹395.95 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 16 प्रतिशत थी।

(VIII) Under one head saving of ₹395.95 lakhs occurred constituting 16 percent of the sanctioned provision.

3.(I) उपर्युक्त बचतें प्रावधान को पुनर्विनियोग द्वारा बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹26545.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष "2052" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

3.(I) The above savings were partly (₹26545.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh under Major Head "2052" under the following heads:-

(का) "सचिवालय – सीमा सड़क संगठन" – ₹23232.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय, ₹23916.04 लाख था।

(A) "Secretariat - Border Roads Organisation" - ₹23232.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹23916.04 lakhs.

(खा) "अन्य कार्यालय – रक्षा संपदा संगठन (डीईओ)" – ₹3313.00 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹2229.93 लाख था।

(B) "Other Offices - Defence Estate Organisation (DEO)" - ₹3313.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹2229.93 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “2037” – “निवारक तथा अन्य कार्य – तट रक्षक संगठन” के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹1451.67 लाख का अधिक व्यय (₹253276.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अखिल भारतीय तटरक्षक बल के सभी कर्मचारियों के वेतनों, बाल शिक्षा भत्ते तथा अन्य निजी दावों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “2037” - “Preventive & Other Functions - Coast Guard Organisation” - excess of ₹1451.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹253276.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards salaries, Children Education Allowance and other personal claims for all India Coast Guard employees.

4. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:–

4. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष “5054” सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head “5054” Capital Outlay on Road and Bridges	*4000.00*	*2489.50*	*-1510.50*

(I) “सामरिक तथा सीमा सड़कें – सड़क कार्य – सीमा सड़क संगठन के तहत कार्य” – *₹1510.50 लाख* की बचत (*₹4000.00 लाख* के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) कोविड–19 महामारी के कारण न्यायिक मामलों के अंतिम निर्णय में देरी के कारण हुई।

(I) Under “Strategic and Border Roads - Road Works - Works under Border Roads Organisation” - saving of *₹ 1510.50 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *₹4000.00 lakhs*) was due to delay in finalization of court cases owing to COVID-19 pandemic.

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के स्वीकृत अंश में, हालांकि सितंबर, 2020 और फरवरी, 2021 में ₹159900.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त किया गया था, तथापि, व्यय स्वीकृत प्रावधान से ₹191.62 लाख (वास्तविक अधिक व्यय ₹191,62,184 था) अधिक हो गया। **अधिक व्यय का विनियमन संसद द्वारा अनुदान हेतु अधिक मांग पर मतदान द्वारा किया जाना अपेक्षित है।**

5. In the voted portion of the capital section of the grant, although supplementary grant of ₹159900.00 lakhs was obtained in September, 2020 and February, 2021 the expenditure exceeded the sanctioned provision by ₹191.62 lakhs (actual excess was ₹191,62,184). **The excess requires regularization by voting of Excess Demands for Grants by the Parliament.**

अधिक व्यय/बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुआ/हुईः–

Excess/saving occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4047" अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4047" Capital Outlay on Other Fiscal Services		250000.00	250320.89	+320.89
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
मू.	O.	1238.00	572.00	513.37	-58.63
पु.	R.	-666.00			
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	23000.00			
पू.	S.	8000.00	..	..	..
पु.	R.	-31000.00			
मुख्य शीर्ष "5054" सड़कों एवं सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "5054" Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	445500.00			
पू.	S.	151900.00	628500.00	629120.31	+620.31
पु.	R.	31100.00			

(I) मुख्य शीर्ष "5054" – "सामरिक तथा सीमा सड़कें – सड़क निर्माण कार्य – सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत निर्माण कार्य" – ₹31620.31 लाख का अधिक व्यय (₹72000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹287500.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के

(I) Under Major Head "5054" - "Strategic and Border Roads - Road Works - Works under Border Roads Organization" - excess of ₹31620.31 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹287500.00 lakhs including supplementary grant of ₹72000.00

लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और सीमा सड़क संगठन द्वारा अधिक कार्य किए जाने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष "4047" – "सीमा शुल्क – तटरक्षक संगठन" के अंतर्गत – ₹320.89 लाख का अधिक व्यय (₹250000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जलयान, विमान और जहाजी बेड़े की अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

6. उपर्युक्त अधिक व्यय निम्नलिखित प्रकार से बचतों द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गयाः–

(I) ₹31005.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रक्त रहा; इसमें से ₹31000.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "4552" – "सड़क निर्माण कार्य – सीमा सड़क संगठन के अंतर्गत सड़क विकास कार्य" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(II) मुख्य शीर्ष "4059" – "अन्य भवन – निर्माण – रक्षा संपदा संगठन" के अंतर्गत – ₹782.96 लाख की बचत (₹840.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विविध परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and more works carried out by Border Roads Organization.

(II) Under Major Head "4047" - "Customs - Coast Guard Organization" - excess of ₹320.89 lakhs (against the sanctioned provision of ₹250000.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards Acquisition of Ships, Aircraft and Fleet.

6. The above excess was partly offset by savings as under :-

(I) Provision of ₹31005.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads; of these ₹31000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "Road Works - Road Development Works under Border Roads Organization" - due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "4059" - "Other Buildings - Construction - Defence Estate Organisation" - saving of ₹782.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹840.00 lakhs) was due to non-finalisation of various projects.